"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जून 2009—आषाढ़ 8, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक 2975/2611/2007/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची-1 में उल्लेखित ग्राम को नगर पंचायत अभनपुर, जिला-रायपुर की सीमा में सम्मिलित करता है.

अनुसूची-1

नगर पंचायत, अभनपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	नगर पंचायत अभनपुर में सम्मिलित किया जाने वाला ग्राम का नाम (2)
1.	उरला

अनुसूची-2

अभनपुर नगर पंचायत की परिवर्तित सीमाएं निम्नानुसार है :—

राजस्व ग्राम-उरला एवं नगर पंचायत, अभनपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत अभनपुर की सीमाएं होंगी.

Raipur, the 29th June 2009

NOTIFICATION

No. 2975/2611/2007/18.—In exercise of powers conferred by Section 5 (a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby include the village in the Abhanpur Nagar Panchayat in District-Raipur as given in the following Schedule-1 :—

SCHEDULE-I

The particulars of the Nagar Panchayat Abhanpur is as under :—

Sl. No.	Proposed Village to be included in Nagar Panchayat Abhanpur
(1)	(2)
1.	Urla

SCHEDULE-II

The revised boundaries of the Nagar Panchayat Abhanpur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Abhanpur shall include the boundaries of existing revenue Village Urla and Nagar Panchayat Abhanpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.